सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-10.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री गोपाल रविदास, स०वि०स० श्री सत्यदेव राम, स०वि०स० श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री मनोज मंजिल, स०वि०स० श्री राकेश कुमार रौशन, स०वि०स०	"राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाले मरीजों को पूर्वी पटना के न्यू. बाईपास रोड होते हुए 'एम्स' तक पहुँचने में आए दिन जाम की समस्या से जूझना पड़ता है । जबकि पटना न्यू बाईपास रोड (एन०एच०-30) के ''सत्तर फीट'' स्थान से पटना एम्स के पास एन०एच०-98 तक 7 (सात) किलोमीटर में 200 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण का सरकार का निर्णय है । इस निर्णय के तहत 3 वर्ष पूर्व ही इस 7 (सात) किलोमीटर के क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए 90 प्रतिशत जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है, लेकिन आज तक उस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है जिसके कारण न्यू बाईपास रोड, अनीसाबाद, फुलवारी शरीफ टमटम पड़ाव के पास भयंकर जाम रहता है, फलत: एम्स एवं महावीर कैंसर संस्थान जाने वाले रोगियों की अकाल मृत्यु हो जाती है । अत: ''सत्तर फीट'' न्यू बाईपास रोड से पटना एम्स के पास एन०एच०-98 तक पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुरूप 200 फीट चौड़े सात किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	पथ निर्माण

2. श्री प्रणव कुमार, स०वि०स० श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री कुंदन कुमार, स०वि०स० श्री अनिल कुमार, स०वि०स० श्री संजय कुमार सिंह, स०वि०स० श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स०वि०स०	''आजादी के सात दशक बाद भी राज्य के 17 जिलों सहित मुंगेर में लगभग 1035 एकड़ जमीन खास महाल में है जिसमें लगभग 2621 घर-दुकान अवस्थित है । इनमें से मात्र 18 का ही लीज नवीकरण हुआ है । वर्ष 1992 के बाद किसी जमीन के लीज का नवीकरण नहीं होने का कारण, खास महाल संशोधन नीति में नवीकरण दर की कई गुणा बढ़ोत्तरी है । नीति में उल्लेख है कि राज्य के सभी पट्टेधारी अपने घर से निष्कासित कर दिए जाएंगे क्योंकि सरकार द्वारा पट्टे का नवीकरण नहीं हो सकता । मुंगेर की 80 फीसदी दुकानें खास महाल जमीन होने के कारण व्यवसायियों को बैंक ऋण नहीं मिलता है जिससे व्यवसाय का विस्तार नहीं हो पाता है । सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है जो कानूनसंगत नहीं है । इससे सरकार को राजस्व की क्षति होती है । उक्त संशोधन नीति 2011 के खिलाफ याचिका पर वर्ष 2015 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 07 अप्रैल, 2011 के पहले के लीज होल्डरों पर लागू नहीं करने का आदेश दिया गया था, लेकिन सरकार द्वारा उसका पालन नहीं किया गया । अत: खास महाल भूखंडों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिणत कर मुंगेर वासियों को मालिकाना हक दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''	राजस्व एवं भूमि सुधार

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/2021- 1068 / वि०स०, पटना, दिनांक- 09 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:-बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-13/2021- 1068 / वि०स०, पटना, दिनांक- 09 मार्च, 2021 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

9/3/21
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।